



2026:AHC:15979

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19747 वर्ष 2025

निधि सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और 5 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अनूप सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., जैनेन्द्र कुमार मिश्रा, रवि प्रकाश सिंह

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनूप सिंह और प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री जैनेन्द्र कुमार मिश्रा और रवि प्रकाश सिंह की बात सुनी।
2. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि वह शुभम सिंह की विधवा है और हालांकि, उनकी मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता के ससुर और मृतक के पिता ने बकाया राशि के रूप में कुछ रकम पर अपना दावा किया है।
3. प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि ससुर देवी प्रसाद सिंह का नाम बैंक के पास उपलब्ध नामांकित व्यक्ति के रूप में दर्ज है क्योंकि इस संबंध में परस्पर प्रतिस्पर्धी दावे हैं।
4. चाहे जो भी हो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह न्यायालय नामांकन से संबंधित मुद्दे पर विचार नहीं कर सकता है और चाहे जो भी हो, याचिकाकर्ता को कानून के तहत उपलब्ध उपायों का सहारा लेना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. पूर्व अवलोकन के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।
6. आज दाखिल किए गए निर्देश परिशिष्ट ए के रूप में दर्ज किए गए हैं।

22 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)